न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2860–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–7–15 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 85/अपील/2012–13 .

सुनिताबाई पुत्री स्व.गेंदालाल पत्नी केवलराम निराले
निवासी ग्राम सिराली
तहसील सिराली जिला हरदा ..... आवेदिका

विरूद्ध

1– बोंदरबाई पुत्री स्व. गेंदालाल पत्नी अनोखीलाल
निवासी ग्राम बावड़िया
तहसील सिराली जिला होशंगाबाद

2– इंदरबाई पुत्री स्व.गेंदालाल पत्नी केवलराम बामने
निवासी ग्राम बावडिया
तहसील सिराली जिला होशंगाबाद

3– कमलाबाई बेवा स्व. गेंदालाल
निवासी मसनगांव
तहसील व जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, सिराली जिला हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बावड़िया स्थित 14 एकड़ भूमि के भूमिस्वामी गेंदालाल थे । वे आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 1 व 2 के पिता एवं अनावेदिका कमांक 3 के पति थे । उनकी मृत्यु हो गई है, अतः प्रश्नाधीन

भूमि पर वारिसाना नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ–6/2008–09 दर्ज कर दिनांक 9–10–2010 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदकगण का वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–6–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए वसीयतनामा, सहमति पत्र आदि का अवलोकन एवं अध्ययन करते हुए गुण–दोष पर निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 17–10–2011 को आदेश पारित किया जाकर आवेदिका सुनीताबाई, अनावेदिका क्रमांक 1 बोंदरबाई एवं अनावेदिका क्रमांक 2 इंदरबाई के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 20–11–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–7–15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी गेंदालाल की मृत्यु होने पर पटवारी द्वारा वारिसाना हक के आधार पर उभय पक्ष का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया गया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–10–2009 को आदेश पारित कर आवेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम कर दिया गया है, जिसका उन्हें विधिक अधिकार नहीं था, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, और तहसीलदार द्वारा प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में दिनांक 17–10–2011 को

आदेश पारित कर आवेदिका का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किया गया था, जो कि वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) एक ही पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक ही प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदकगण के पक्ष में दो उपधारण कर अपील स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) चूंकि स्व. गेंदालाल ग्राम बावड़िया की भूमि के संबंध में कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए तहसीलदार द्वारा वारिसाना नामांतरण आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(4) अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों ग्रामों की 20 एकड़ भूमि को खानदानी मानकर आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) ग्राम बावड़िया की भूमि सर्वे क्रमांक 3/5 रकबा 4 एकड़ खानदानी सम्पत्ति नहीं होकर गेंदालाल व उसकी विवाहिता प्रेमबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसका वसीयत करने का उसे पूर्ण अधिकार है, और अनावेदक क्रमांक 2 व 3 की सहमति से वसीयतनामा की गई थी, परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा वसीयत नहीं मानने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(6) वसीयतकर्ता गेंदालाल का उद्देश्य यदि आवेदिका को उसका हिस्सा प्रदान करना होता, तब उन्हें वसीयतनामा निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं थी, इस वैधानिक स्थिति पर अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदिका सुनीताबाई के पक्ष में पूर्व में जो भूमि आई थी वह वसीयत के आधार पर आई थी । अब शेष भूमि पर क्योंकि कोई वसीयतनामा नहीं किया गया है तो इसका फौती नामांतरण वारिसान के आधार पर ही होगा तथा इसके लिए सभी वारिसान जिनमें आवेदिका भी

सम्मिलित है, उसके पात्र होंगे । मात्र इस आधार पर कि उसको वसीयतनामे के आधार पर कुछ भूमि पूर्व में मिली थी, मृतक भूमिस्वामी की शेष भूमि पर आवेदिका का वारिसाना अधिकार हक समाप्त नहीं किया जा सकता है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसाना नामांतरण में आवेदिका को भी शामिल करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, इसलिए उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–7–15 एवं अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2011 निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार, सिराली जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर